फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

दिपेन्द्र सिंह शेखावत आदि बनाम सीताराम व अन्य

किस्म मुकदमाः– 53,88,209 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्याः–30 / 2024 (GCMS 2024 / 44)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.12.2025		

आज यह पत्रावली वकील वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2025 की पालना में तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा पत्र सं.5172 दिनांक 03.12.2025 से विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, शामिल मिसल रहे। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बताया कि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये है वह स्वीकार है तथा इसी अनुसार खाता विभाजन किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। वकील प्रतिवादी संख्या 1–2 ने भी विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया एवं कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2025 को प्रश्नगत भूमि बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रश्नगत वादाधीन भूमि रोही ठूकराना के खाता संख्या 40 / 22 के खसरा संख्या 537 / 172 की 3.795 हैक्टर का वादीगण व प्रतिवादी संख्या–01 के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है।

1.दीपेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र मूल सिंह शेखावत जाति राजपुत साकिन बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू की भूमिः–तहसील सूरतगढ़ की रोही ठूकराना का खसरा नं. 537 / 172 की 0.3795 हैक्टर बारानी भूमि (प्रस्ताव में गहरे संतरी रंग से दर्शाया हुआ है)

2.सुमन कंवर पत्नी दीपेन्द्र सिंह शेखावत जाति राजपुत साकिन बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू की भूमि :– तहसील सूरतगढ़ की रोही ठूकराना का खसरा नं. 537 / 172 की 0.3795 हैक्टर बारानी भूमि (प्रस्ताव में हरे रंग से दर्शाया हुआ है)

3.जितेन्द्र सिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजपुत साकिन ठूकराना तहसील सूरतगढ़ की भूमिः–तहसील सूरतगढ़ की रोही ठूकराना का खसरा नं. 537 / 172 की 0.3795 हैक्टर बारानी भूमि (प्रस्ताव में भूरे रंग से दर्शाया हुआ है)

4.प्रीतम कंवर पत्नी जितेन्द्र सिंह जाति राजपुत साकिन ठूकराना तहसील सूरतगढ़ की भूमिः–तहसील सूरतगढ़ की रोही ठूकराना का खसरा नं. 537 / 172 की 0.3795 हैक्टर बारानी भूमि (प्रस्ताव में नारंगी रंग से दर्शाया हुआ है)

5.पुष्पा कंवर पत्नी विक्रम सिंह जाति राजपुत साकिन ठूकराना तहसील सूरतगढ़ की भूमिः–तहसील सूरतगढ़ की रोही ठूकराना का खसरा नं. 537 / 172 की 0.3795 हैक्टर बारानी भूमि (प्रस्ताव में नीले रंग से दर्शाया हुआ है)

6.सीताराम पुत्र सहीराम जाति स्वामी साकिन ठूकराना तहसील सूरतगढ़ की भूमिः–तहसील सूरतगढ़ की रोही ठूकराना का खसरा नं. 537 / 172 की 1.8975 हैक्टर बारानी भूमि (प्रस्ताव में पीले रंग से दर्शाया हुआ है)

राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार खाता विभाजन [illegible] अमलदरामद किया जाकर रकम राज अलग–2 कायम हो। [illegible] के खाता में यथावत् रहेगा। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा विभाजन [illegible] के साथ प्रेषित आंशिक नजरी नक्शा इस आदेश का भाग [illegible] जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.19 17:57:41 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जयप्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी :–भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. दीपेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र मूल सिंह शेखावत जाति राजपुत साकिन बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
2. सुमन कंवर पत्नी दीपेन्द्र सिंह जाति राजपुत साकिन बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
3. जितेन्द्र सिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजपुत साकिन वार्ड नं. 11 ठूकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. प्रीतम कंवर पत्नी जितेन्द्र सिंह जाति राजपुत साकिन वार्ड नं. 11 ठूकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. पुष्पा कंवर पत्नी विक्रम सिंह जाति राजपुत साकिन वार्ड नं. 11 ठूकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. सीतराम पुत्र सहीराम जाति स्वामी साकिन ठूकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. ओमप्रकाश पुत्र सहीराम जाति बैरागी साकिन ठूकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वादपत्र धारा 53,88,209 आर.टी.ए. एक्ट मुकदमा नं0 30 वर्ष 2024 (GCMS No.2024/44) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री शिशपाल शर्मा, श्री योगेश कुमार शर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं. 1–2 श्री सुरज स्वामी तथा पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रश्नगत वादाधीन भूमि रोही ठूकराना के खाता संख्या 40/22 के खसरा संख्या 537/172 की 3.795 हैक्टर का वादीगण व प्रतिवादी संख्या–01 के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:–

1.दीपेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र मूल सिंह शेखावत जाति राजपुत साकिन बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू की भूमि:–तहसील सूरतगढ़ की रोही ठूकराना का खसरा नं. 537/172 की 0.3795 हैक्टर बारानी भूमि (प्रस्ताव में गहरे संतरी रंग से दर्शाया हुआ है)

2.सुमन कंवर पत्नी दीपेन्द्र सिंह [illegible] व तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू की भूमि :– तहसील सूरतगढ़ की रोही ठू[illegible] का [illegible]रा नं. 537/172 की 0.3795 हैक्टर बारानी भूमि (प्रस्ताव में हरे रंग से दर्शाया हुआ है)

3.जितेन्द्र सिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजपुत साकिन [illegible] तहसील सूरतगढ़ की भूमि:–तहसील सूरतगढ़ की रोही ठूकराना का खसरा नं. 537/172 की [illegible]795 हैक्टर बारानी भूमि (प्रस्ताव में भूरे रंग से दर्शाया हुआ है)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2025.12.19 17:57:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

4.प्रीतम कंवर पत्नी जितेन्द्र सिंह जाति राजपुत साकिन ठूकराना तहसील सूरतगढ़ की भूमिः–तहसील सूरतगढ़ की रोही ठूकराना का खसरा नं. 537/172 की 0.3795 हैक्टर बारानी भूमि (प्रस्ताव में नारंगी रंग से दर्शाया हुआ है)

5.पुष्पा कंवर पत्नी विक्रम सिंह जाति राजपुत साकिन ठूकराना तहसील सूरतगढ़ की भूमिः–तहसील सूरतगढ़ की रोही ठूकराना का खसरा नं. 537/172 की 0.3795 हैक्टर बारानी भूमि (प्रस्ताव में नीले रंग से दर्शाया हुआ है)

6.सीताराम पुत्र सहीराम जाति स्वामी साकिन ठूकराना तहसील सूरतगढ़ की भूमिः–तहसील सूरतगढ़ की रोही ठूकराना का खसरा नं. 537/172 की 1.8975 हैक्टर बारानी भूमि (प्रस्ताव में पीले रंग से दर्शाया हुआ है)

राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार खाता विभाजन का अमलदरामद किया जाकर रकम राज अलग–2 कायम हो। यदि रहन है तो वह संबंधित खातेदार के खाता में यथावत् रहेगा।

नोज --------x------- मुबलिग --------x-------बाबत~---------x-------खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह --------x------- फस्दों की पालना --------x------- आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15.12.2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2025.12.19 17:57:41 IST
Reason: SelfAttested